

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

जारी करने की दिनांक 21 जून 2019

कौशल भवन ई.एम.आई कैम्पस, जे-8ए, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन: 0141-5103246, 47

वेबसाइट: www.livelihoods.rajasthan.gov.in

नोट :- दिनांक 21 जून 2019 को जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति का यह हिन्दी अनुवाद आवेदकों को सहजता एवं सरलता मात्र के लिये किया गया है। किसी भी प्रकार के तकनीकी विभेद की स्थिति में दिनांक 21 जून 2019 को अंग्रेजी में प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EoI) का ही संदर्भ लेवें।

बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर, दिव्यांगजन, जेल कैदी, किशोर गृह बन्दी, नारी निकेतन को नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) के माध्यम से आजीविका संवर्धन (स्वरोजगार/रोजगार/उद्यमिता) परियोजना के लिए अभिव्यक्ति की अभिरुची प्रस्ताव आमंत्रित है। (आरएसएलडीसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें)

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) एक अल्पकालिक आजीविका आधारित कार्यक्रम है और 2005-06 से राज्य में कौशल विकास की पहल का आधार है। यह योजना बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर (एमटीएच), विशेष क्षमता (पीएसए) वाले व्यक्तियों, जेलों, किशोर घरों, नारी निकेतन के कैदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संशोधित की गई है, जो आजीविका उत्पादन के लिए अपने स्वयं के रोजगार या उद्यमशीलता या नौकरी की स्थापना के लिए अग्रणी हैं। संशोधित दिशानिर्देश नए लागत मानदंडों के साथ 01-01-2018 से लागू होंगे। राजस्थान के निवासी महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर (एमटीएच), विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों (पीएसए), जेलों के कैदियों, किशोर घरों, नारी निकेतन के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) स्थापित करने के लिए इच्छुक प्रशिक्षण संस्थानों / संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम	मापदंड	शर्तें / प्रावधान
1	पात्रता मापदंड	<p>(1.1) प्रशिक्षण प्रदाता एक पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन या सरकारी संस्थान / विश्वविद्यालय / बैंक चलाने वाला संस्थान / धारा 25 कंपनी / पंजीकृत प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और आवेदन की तारीख पर गत तीन वर्षों से देश में कहीं भी सक्रिय और कार्यरत होनी चाहिए। अनुबंध 2 के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(1.2.1) पिछले तीन वर्षों में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्रदाता का औसत वार्षिक कारोबार 2.5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। प्रशिक्षण प्रदाता के पास भारत में कहीं भी कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए और आवेदन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यशील / संचालन होना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्र की एक बार की क्षमता 25 उम्मीदवारों से कम नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाता को किसी भी एक या अधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। आयोजित प्रशिक्षण की अवधि 30 दिन और 180 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रदाताओं ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 उम्मीदवारों को प्लेसमेंट प्रदान किया होना चाहिये। विगत तीन वर्षों से नेट-वर्थ का उल्लेख करने वाले वर्ष-वार ऑडिटेड वित्तीय विवरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अनुलग्नक 3.1 के अनुसार सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p>

क्रम	मापदंड	शर्तें / प्रावधान
		<p>(1.2.2) केवल पीएसए कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए पिछले तीन वर्षों में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रम से औसतन 2.5 लाख रुपये का सालाना कारोबार होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाताओं के पास भारत में कहीं भी कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए और आवेदन की तिथि से तीन साल से अधिक का कार्यात्मक / परिचालन होना चाहिये। प्रशिक्षण केंद्र की एक बार की क्षमता 10 पीएसए से कम नहीं चाहिये। प्रशिक्षण प्रदाता को पीएसए के लिए किसी एक या एक से अधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 से कम पीएसए युवाओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 10 पीएसए को प्लेसमेंट प्रदान करना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों से नेट-वर्थ का उल्लेख करने वाले वर्ष-वार ऑडिटेड वित्तीय विवरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अनुलग्नक 3.2 के अनुसार सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(1.2.3) केवल ट्रांसजेन्डर (MTH) कौशल प्रशिक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों में कौशल विकास और प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रम में औसत वार्षिक कारोबार 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाताओं के पास भारत में कहीं भी कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए और आवेदन की तिथि से अधिक तीन साल से अधिक के लिए कार्यात्मक / परिचालन होना चाहिये। प्रशिक्षण केंद्र की एक बार की क्षमता 10 ट्रांसजेन्डर अभ्यार्थी (MTH) से कम नहीं होगी। प्रशिक्षण प्रदाता को ट्रांसजेन्डर (MTH) के लिए किसी एक या अधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 ट्रांसजेन्डर (MTH) युवाओं से कम नहीं प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षण साझेदारों को प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों (एमटीएच) के प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। पिछले तीन वर्षों से नेट-वर्थ का उल्लेख करने वाले वर्ष-वार ऑडिटेड वित्तीय विवरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अनुबंध 3.3 के अनुसार सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>1.2.4) भारत सरकार / राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रांसजेन्डर (एमटीएच) समुदाय / से गठित एक पंजीकृत समाज / कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाली किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय प्रदाता एजेंसी को पात्रता मानदंड से छूट दी जाएगी। अनुबंध 3.4 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1.3) पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण प्रदाता का औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहियें। आवेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों से नेट-वर्थ का उल्लेख करते हुए वर्ष-वार अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुबंध- 3.5 के अनुसार सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1.4) यदि प्रशिक्षण प्रदाता संयुक्त उद्यम (Joint Venture) या कंसोर्टियम में आवेदन कर रहा है, तो या तो दोनों भागीदारों को 1.2.1 और / या 1.3 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना चाहिए या 1.3 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। प्रत्येक साथी की विशिष्ट जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले जेवी / कंसोर्टियम का दस्तावेज प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अनुलग्नक 3.1 और 3.5 के अनुसार सीए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>

क्रम	मापदंड	शर्तें/ प्रावधान
		<p>(1.5) प्रशिक्षण प्रदाता को किसी प्रदाता एजेंसी / राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया हो। अनुबंध 4 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p>
		<p>(1.6) प्रशिक्षण प्रदाता समाज के लक्ष्य समूह को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आर.एस.टी.पी दिशानिर्देशों और शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदाता को स्थान, फर्नीचर, उपकरण, विद्युत कनेक्शन, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे, RSLDC के ISMS पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए सक्षम आधार आधारित बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मशीन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयनित कोर्स में आवश्यक योग्यता और अनुभव के साथ प्रशिक्षकों को नियुक्त करना होगा। प्रशिक्षण प्रदाता प्रधानमंत्री प्रशिक्षु सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित प्रशिक्षुओं के बैंक खाते और उनके बीमा कवरेज को सुनिश्चित करेगा, ऐसे बीमा (प्रीमियम) की लागत प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रदाता कम से कम 50% सफल प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने की व्यवस्था करेगा, जो रोजगार, स्व-रोजगार या उद्यमशीलता उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अनुबंध 5 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p>
2	प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क	<p>योग्य प्रशिक्षण प्रदाताओं को रु 5,000/- (केवल पाँच हजार रुपये) (Non Refundable) प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। । इसका भुगतान आर.एस.एल.डी.सी. के पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाएगा, ऑफलाईन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। जो प्रस्ताव जो प्रोसेसिंग शुल्क के साथ नहीं हैं, उन्हें RSLDC द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी पॉलिटैक्निक, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, सरकारी विश्वविद्यालय प्रबंधित कृषि विज्ञान केंद्र, सरकारी विश्वविद्यालय प्रबंधित संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र और राज्य सरकार के प्रबंधन संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंक, RUDSET / RSET संस्थान और प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के विशेष योग्यता (PSA) और ट्रांसजेन्डर (MTH) के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव करने पर प्रस्ताव प्रसंस्करण शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
3	अग्रिम जमा राशी (EMD)	<p>प्रशिक्षण प्रदाताओं को रिफण्डेबल अग्रिम जमा राशी (ईएमडी) रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) जमा करानी होगी। । इसका भुगतान आर.एस.एल.डी.सी. के पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाएगा, ऑफलाईन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त राशि (EMD) के बिना प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी पॉलिटैक्निक, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, सरकारी विश्वविद्यालय प्रबंधित कृषि विज्ञान केंद्र, सरकारी विश्वविद्यालय प्रबंधित संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों ने कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र और राज्य सरकार के प्रबंधन संस्थानों को प्रबंधित करने के लिए अग्रिम जमा राशी (ईएमडी) जमा करने की आवश्यकता नहीं है। , राष्ट्रीयकृत बैंक RUDSET/ RSET संस्थान और प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के विशेष योग्यता (PSA) और ट्रांसजेन्डर (MTH) के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।</p>

क्रम	मापदंड	शर्तें/प्रावधान
		निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के कारण ईएमडी जब्त किया जाएगा: – (ए) प्रशिक्षण प्रदाता ईओआई की वैधता की अवधि के दौरान ईओआई से वापस लेता है जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन है। (बी) प्रशिक्षण प्रदाता के मामले में शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ईओआई प्रक्रिया (एमओयू पर हस्ताक्षर) में भाग नहीं लेता है।
4	सुरक्षा जमा राशी (PSD)	प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रति कौशल विकास केंद्र रुपये 50,000/- (केवल पचास हजार) की रिफण्डेबल पर्फॉमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट (पीएसडी) जमा करने की आवश्यकता होगी। इसका भुगतान आरएसएलडीसी के आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों से PSD को जब्त कर लिया जाएगा: – प्रशिक्षण प्रदाता के मामले में कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) को कार्य अवधि के अनुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर या एमओयू की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है।
5	परियोजना अवधि	तीन वर्ष
6	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23 जुलाई 2019
7	प्रशिक्षण के लिए आर्थिक क्षेत्रवार पाठ्यक्रम	ईओआई के अंत में सूची संलग्न है। सूची समयानुसार संशोधित की जा सकती है।
8	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का संगठन	RSTP के लिए RSLDC दिशानिर्देशों के अनुसार (समय-समय पर संशोधित)
9	फंडिंग पैटर्न	आरएसएलडीसी की आरएसटीपी स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, युवाओं (एमटीएच) विशेष क्षमता (पीएसए) वाले व्यक्ति, जेल के कैदियों, किशोर घरों, नारी निकेतन के लिए (समय-समय पर संशोधित)।
10	प्रस्ताव जमा कराना	(ए) उपरोक्त वर्णित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली इच्छुक कंपनियों / एजेंसियों / संगठन बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर (MTH), विशेष क्षमता (PSA), जेलों, किशोर घरों के कैदियों, राज्य में नारी निकेतन के लिए आजीविका वृद्धि (SELF OR WAGE EMPLOYMENT या ENTREPRENEURLIPI) हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिए अपना विस्तृत प्रस्ताव राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (RSLDC) के पोर्टल पर ऑनलाईन 23.07.2019 तक या उससे पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्ताव के साथ होना चाहिए: क) कवरिंग पत्र-अनुबंध -1 ख) अनुबंध -2 के अनुसार कंपनी प्रोफाइल ग) अनुलग्नक -3 के अनुसार पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित वित्तीयों की प्रति घ) अनुबंध -4 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दस्तावेजी प्रमाण और नियुक्ति के अवसर ङ) अनुबंध -5 के अनुसार मौजूदा / प्रस्तावित प्रशिक्षण अवसंरचना च) अनुबंध -6 के अनुसार ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने के लिए शपथ पत्र छ) अनुलग्नक -7 के अनुसार प्रस्तावित कार्य योजना। ज) जेवी / कंसोर्टियम के लिए समझौते की प्रति, यदि लागू हो। झ) स्व-प्रमाण पत्र के बारे में।

क्रम	मापदंड	शर्तें/प्रावधान
		RSTP दिशानिर्देशों के अनुसार SDC की स्थापना, प्रशिक्षक (प्रशिक्षुओं) को काम पर रखना, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मशीन की स्थापना, नामांकित प्रशिक्षुओं के लिए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित प्रशिक्षुओं का बीमा करवाना और कम से कम 50% प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार (सूक्ष्म उद्यम की स्थापना) हेतु प्रेरित करना एवं सहायता करना।
11	परियोजना की मंजूरी के लिए तंत्र	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच करने के लिए डेस्क मूल्यांकन और योग्य प्रस्तावों की स्वीकृति। 2. RSLDC द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन। 3. एमडी, आरएसएलडीसी को समिति की सिफारिशें और अध्यक्ष, आरएसएलडीसी की मंजूरी 4. चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
<p>प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। RSLDC का निर्णय कंपनी / एजेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p>		
<p>ध्यान दें:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समय-समय पर आरएसएलडीसी द्वारा क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों को अद्यतन / संशोधित किया जा सकता है। 2. RSLDC किसी विशेष क्षेत्र / पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तय करने का पूर्ण अधिकार रखता है। RSTP योजना के तहत सभी चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 		

विशेषकर क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एलपी ओ ओई एड महिलाओं, युवाओं, ईओपी के लिए आजीविका संवर्धन (स्व या मजदूरी रोजगार या उद्यमिता) की परियोजना शुरू करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) के जवाब में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए चेकलिस्ट। पीएसए), जेल कैदियों, किशोर गृह कैदियों, नारी-निकेतन कैदियों, आरएसटीपी के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसान और वाचर (पशुपालक)।

क्रम	दस्तावेज का विवरण	पेज न.
1	अनुलग्नक -1 के अनुसार मुख्य पत्र	
2	अनुबंध -2 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक का विवरण प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन / सरकारी संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों / विश्वविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें संबंधित बोर्ड या परिषद की मान्यता या मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं।	
3	प्रशिक्षण प्रदाता के वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण जिसमें ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और पिछले 03 वर्षों के आयकर रिटर्न शामिल हैं	
4	अनुबंध- 3.2 के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता का वित्तीय, पीएसए के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण, जिसमें पिछले 03 वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और आयकर रिटर्न शामिल हैं।	
5	प्रशिक्षण प्रदाता के वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए विवरण (एमटीएच) सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और पिछले 03 वर्षों के लिए अनुलग्नक -33 के अनुसार आयकर रिटर्न	
6	सरकार के पंजीकरण के विवरणों के लिए सोसायटी को मान्यता दी गई है (MTH) अनुबंध- 3-4 के अनुसार	
7	प्रशिक्षण प्रदाता के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा सहित वित्तीय विवरण और पिछले 03 वर्षों के लिए अनुलग्नक 3-5 के अनुसार आयकर रिटर्न (50 लाख या उससे अधिक टर्नओवर वाले संगठनों के लिए)	
8	प्रशिक्षण प्रदाता के वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण जिसमें लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण और आयकर रिटर्न- 3.1 और 3.5 के अनुसार पिछले 03 वर्षों के आयकर रिटर्न शामिल हैं (जेवी / कंसोर्टियम के माध्यम से आवेदन करने वाले संगठनों के लिए)	
9	अनुलग्नक -4 के अनुसार ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का हलफनामा	
10	अनुबंध -5 के अनुसार टैच दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए घोषणा	
11	अनुबंध -6 के अनुसार प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना	
12	Eoi दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी सचिव / अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर के साथ ईओआई दस्तावेज की प्रतिलिपि	
13	जेवी / कंसोर्टियम का समझौता, यदि लागू हो	

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(कंपनी की मोहर)

(अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक:

अनुलग्नक -1: कवरिंग पत्र का प्रारूप

(कवरिंग पत्र कंपनी सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि और कंपनी के लेटरहेड पर हस्ताक्षर /उसके हस्ताक्षर और मुहर के साथ जमा किया जाना है)

सेवामें

प्रबंध संचालक

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम,

कौशल भवन, जे -8 ए, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर- 302004

फोन: 91-141-5103246, 47

फैक्स: + 91-141-5103247

बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर, दिव्यांगजन, जेल कैदी, किशोर गृह बन्दी, नारी निकेतन को नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) के माध्यम से आजीविका संवर्धन (स्वरोजगार/रोजगार/उद्यमिता) परियोजना में सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) द्वारा जारी दिनांक 21.06.2019 को जारी किए गए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई) दस्तावेज के जवाब में, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगार महिलाएं, युवा, युवा (MTH), विशेष क्षमता वाले व्यक्ति (PSA), जेलों के कैदी, किशोर गृह, नारी निकेतन, किसान और पशु पालक के लिए आजीविका संवर्धन (स्व या मजदूरी रोजगार या उद्यमिता) की परियोजना के संबंध में संलग्न प्रस्ताव।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि:

1. प्रस्ताव (प्रशिक्षण प्रदाता का नाम) द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है (प्रशिक्षण प्रदाता कौन है, ईओआई में निर्धारित शर्तों के अनुसार।)
2. हमने विस्तार से जांच की है और आरएसएलडीसी द्वारा जारी किए गए ईओआई दस्तावेज और आरएसएलडीसी द्वारा आगामी सूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों को समझा है। हम इन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। हमारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है जैसा कि EOI में या RSLDC के किसी भी आगामी संचार में कहा गया है।
3. हमारे प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण है, ईओआई में निर्धारित आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुरूप है, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और समझ के अनुसार सही है। हम अपने प्रस्ताव में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। हम स्वीकार करते हैं कि आरएसएलडीसी प्रस्ताव में दी गई जानकारी और पूर्वोक्त कार्यक्रम के लिए आवेदक को सूचीबद्ध करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव के साथ दस्तावेजों पर निर्भर होगा और हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य और सही है; कुछ भी छोड़ा नहीं गया है जो इस तरह की जानकारी को गुमराह करता है; और इस तरह के प्रस्ताव के साथ सभी दस्तावेजों की उनके संबंधित मूल की सत्य प्रतियां हैं।
4. हम आरएसएलडीसी के अधिकार को बिना कोई कारण बताए अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक, किसी भी स्तर पर किसी को भी चुनौती देने के हमारे अधिकार को भी अधित्यक्त करते हैं।

5. हम नियमसंगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और EOI में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

6. यह प्रस्ताव शर्तरहित है और हम ईओआई के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए वचन देते हैं।

7. हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी ऐसे एजेंट के माध्यम से जो किसी भ्रष्ट व्यवहार, कपटपूर्ण अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में लिप्त या जुड़े हुए नहीं हैं

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यह प्रस्ताव बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, ट्रांसजेन्डर (एमटीएच), विशेष क्षमता (पीएसए) के व्यक्तियों, जेलों के कैदियों, किशोर गृह नारी निकेतन, किसानों और पाशु पालक के लिए आजीविका संवर्धन (स्व या मजदूरी रोजगार या उद्यमिता) की परियोजना के तहत सशक्तिकरण के अभिरुचि के लिए किया गया है। – कृपया निम्नलिखित लक्ष्य समूह और क्षेत्र के तहत पाठ्यक्रम (ओं) के लिए प्रासंगिक लक्ष्य समूह का उल्लेख करें:

S. No.	Target Group	Name of Sector	Name of Course

इसके साक्ष्य में, हम इस प्रस्ताव को EOI दस्तावेज़ की शर्तों के तहत प्रस्तुत करते हैं

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(कंपनी की मोहर)

(अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक:

अनुलग्नक -2: प्रशिक्षण प्रदाता का विवरण

(कंपनी सचिव / प्राधिकृत प्रतिनिधि और कंपनी के लेटरहेड पर हस्ताक्षर उसके / उसके हस्ताक्षर और मुहर के साथ)

क्रम	विवरण	संक्षेप
1	प्रशिक्षण के कानूनी संविधान का नाम प्रदाता	
2	फर्म की स्थिति / संविधान	
3	पंजीकरण प्राधिकरण का नाम	
4	पंजीकरण नम्बर	
5	पंजीकरण की दिनांक	
6	पंजीकरण का स्थान	
7	पैन कार्ड न0	
8	टीन न0	
9	टैन न0	
10	जीएसटी न0	

यह आगे प्रमाणित है कि हम अपने आवेदन की तिथि पर पिछले तीन वर्षों से लगातार सक्रिय और क्रियाशील हैं।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(कंपनी की मोहर)

(अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक:

नोट: कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करें (जो भी लागू हों):

1. अगर अप्रेंटिसशिप फर्म, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रमाणपत्र की प्रति।
2. यदि पार्टनरशिप फर्म, पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की प्रति / पार्टनरशिप का प्रमाण पत्र विधिवत हो व चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो।
3. यदि सार्वजनिक / निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकरण / निगमन प्रमाणपत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख की प्रति।
4. यदि सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन पंजीकरण प्रमाणपत्र और सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन की प्रतिलिपि।
5. पैन कार्ड की कॉपी।
6. टिन की कॉपी।
7. टैन की प्रति।
8. जीएसटी की कॉपी।
9. 21.06.2019 को बैंक पासबुक की प्रति।

अनुबंध- 3.1: वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण
(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटरहेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा घोषणा)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मै. (एंटिटी का नाम), कार्यालय में पंजीकृत होने का कार्यालय कार्यालय का पता, पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन से औसत वार्षिक कारोबार 2.5 लाख रुपये से कम नहीं है। वार्षिक कारोबार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	वार्षिक टर्नओवर केवल कौशल विकास कार्यक्रम संचालन और प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है	वार्षिक कारोबार (INR)	कुल मूल्य

यहाँ संलग्न:

1. अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति
2. आयकर रिटर्न की प्रति

प्रशिक्षण केंद्र का विवरण:

1. कार्यात्मक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:
2. पता:
3. कौशल क्षमता:
4. व्यापार:

प्रशिक्षित और पदस्थापित युवाओं का विवरण:

क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण
कुल					

चार्टर्ड अकाउंटेंट का हस्ताक्षर

नाम

पंजीकरण नम्बर

संपर्क नंबर

सील

दिनांक:

अनुबंध- 3.2: वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण
(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटरहेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा घोषणा)

**जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए
(विशेष योग्यजन के लिए)**

ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मै. (एंटिटी का नाम), कार्यालय में पंजीकृत होने का कार्यालय कार्यालय का पता, पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन से औसत वार्षिक कारोबार 2.5 लाख रुपये से कम नहीं है। वार्षिक कारोबार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	वार्षिक टर्नओवर केवल कौशल विकास कार्यक्रम संचालन और प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है	वार्षिक कारोबार (INR)	कुल मूल्य

यहाँ संलग्न:

1. अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति
2. आयकर रिटर्न की प्रति

प्रशिक्षण केंद्र का विवरण:

1. कार्यात्मक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:
2. पता:
3. कौशल क्षमता:
4. व्यापार:

प्रशिक्षित और पदस्थापित विशेष योग्यजन युवाओं का विवरण:

क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण
कुल					

चार्टर्ड एकाउंटेंट का हस्ताक्षर

नाम
पंजीकरण नम्बर
संपर्क नंबर
सील
दिनांक:

अनुबंध- 3.3: वित्तीय, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट विवरण
(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटरहेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा घोषणा)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए
(ट्रांसजेन्डर MTH)

ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मै. (एंटिटी का नाम), कार्यालय में पंजीकृत होने का कार्यालय कार्यालय का पता, पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन से औसत वार्षिक कारोबार 2.5 लाख रुपये से कम नहीं है। वार्षिक कारोबार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	वार्षिक टर्नओवर केवल कौशल विकास कार्यक्रम संचालन और प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है	वार्षिक कारोबार (INR)	कुल मूल्य

यहाँ संलग्न:

1. अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति
2. आयकर रिटर्न की प्रति

प्रशिक्षण केंद्र का विवरण:

1. कार्यात्मक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:
2. पता:
3. कौशल क्षमता:
4. व्यापार:

प्रशिक्षित और पदस्थापित (ट्रांसजेन्डर MTH) युवाओं का विवरण:

क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण	रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का विवरण
कुल					

चार्टर्ड अकाउंटेंट का हस्ताक्षर

नाम
पंजीकरण नम्बर
संपर्क नंबर
सील
दिनांक:

3.4 प्रशिक्षण प्रदाता का विवरण

ट्रांसजेन्डर (MTM) के लिए
(कंपनी सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि और कंपनी के लेटरहेड पर हस्ताक्षर उसके / उसके
हस्ताक्षर और मुहर के साथ)

क्र.स.	विवरण	संक्षेप
1	प्रशिक्षण के कानूनी संविधान का नाम प्रदाता	
2	फर्म की स्थिति / संविधान	
3	पंजीकरण प्राधिकरण का नाम	
4	पंजीकरण नम्बर	
5	पंजीकरण का दिनांक	
6	पंजीकरण का स्थान	
7	पैन कार्ड न0	

यह आगे प्रमाणित है कि हम अपने आवेदन की तिथि पर पिछले तीन वर्षों से लगातार सक्रिय और क्रियाशील हैं।

उनके लिए और उनकी तरफ से:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(कंपनी की मोहर)

(अधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक:

नोट: कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करें (जो भी लागू हो):

1. सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन पंजीकरण प्रमाणपत्र और सोसायटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन के संविधान की प्रतिलिपि।
2. पैन कार्ड की कॉपी।
3. बैंक पास बुक की प्रति 21.06.2019 तक

3.5 वित्तीय विवरण

(अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ लेटरहेड पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा घोषणा)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

अंकक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि (एजेंसी का नाम).....
..... पंजीकृत कार्यालय में (कार्यालय का पता)
..... का औसत वार्षिक कारोबार विगत तीन वर्षों में रुपये 50 लाख से कम नहीं है। वार्षिक टर्नओवर का विवरण नीचे उल्लिखित है :

क्र.स.	वित्तीय वर्ष (अंतिम तीन वर्ष)	वार्षिक टर्नओवर केवल कौशल विकास कार्यक्रम संचालन और प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है	वार्षिक कारोबार (INR)	कुल मूल्य

यहाँ संलग्न:

1. अंकक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति
2. आयकर रिटर्न की प्रति

(चार्टर्ड एकाउंटेंट) :

हस्ताक्षर :

नाम :

पंजीकरण क्रमांक :

संपर्क नंबर :

सील

दिनांक :

अनुलग्नक –6 ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने का हलफनामा

(एजेंसी के सचिव / प्राधिकृत द्वारा न्यूनतम 50 / – के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा
उसके / उसके दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर के साथ हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

हम (एजेंसी का नाम) अपने पंजीकृत कार्यालय में (कार्यालय का पता) इसके द्वारा घोषित करते हैं कि आवेदक को किसी भी दाता एजेंसी / राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा हमारे हिस्से पर उल्लंघन के लिए ब्लैक लिस्टेड / डेबिट नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता) (संगठन सील)

दिनांक :

अनुलग्नत 5 RSTP दिशानिर्देशों की पालना बाबत घोषणा

(कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा लेटरहेड पर अपने हस्ताक्षर, मुहर और दिनांक के साथ घोषणा)

हम,मै. कम्पनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय में
(कार्यालय का पता), द्वारा घोषित करते हैं कि हम (कम्पनी का नाम)
..... इस प्रकार RSTP दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार SDC स्थापित करने की पुष्टि करते
हैं, ट्रेनर को नियुक्त करेंगे, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मशीन स्थापित करेंगे नामांकित प्रशिक्षुओं के
लिए बैंक खाते खोलेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत प्रशिक्षुओं का बीमा करेंगे और कम
से कम 50% प्रशिक्षित युवाओं को मजदूरी या स्व-रोजगार या सूक्ष्म उद्यम की स्थापना करने में सहायता
करेंगे।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता) (संगठन सील)

दिनांक :

अनुलग्नक 6 वार्षिक क्रियान्वयन योजना

(कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा लेटरहेड पर अपने हस्ताक्षर, मुहर और दिनांक के साथ घोषणा)

वार्षिक क्रियान्वयन योजना

प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	क्रम	वर्ष	जिला	प्रशिक्षण केन्द्र की संख्या	प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान	सेक्टर	प्रशिक्षण केन्द्र अनुसार कोर्स	आवासीय / गैर आवासीय	कुल बैच संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(प्राधिकृत प्रतिनिधि और हस्ताक्षरकर्ता) (संगठन सील)

दिनांक :